<u>कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी</u>

<u>प्रेस-नोट</u>

<u>दिनांक:-16-01-2025</u>

<u>विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त मनोज मिश्रा उर्फ सोनी को चोरी व अवैध चाकू के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि तथा कुल 2500/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।</u>

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 277/2010, धारा-380,411भादवि तथा मु0अ0सं0- 278/2010, धारा-4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त **मनोज मिश्रा उर्फ सोनी पुत्र रामनाथ निवासी सी-33/2024-डी-ए.के. चन्दुआ छित्तुपुर थाना सिगरा वाराणसी** को <u>थाना-सिगरा</u> पुलिस व <u>मॉनीटरिंग सेल</u> के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 15.01.2025 को मा0 न्यायालय JM-2 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त मनोज मिश्रा उपरोक्त धारा-380, 411 भादवि में दोषी पाते हुए उसे धारा-380 भादवि में 1000/- रूपये का अर्थदण्ड व जेल में बितायी अवधि से व धारा 411 भदवि में 1000 रूपये के अर्थ दण्ड व जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया गया तथा धारा-4/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए उसे जेल में बितायी अवधि से व 500 रूपये के अर्थ दंण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी